Chapter 04

सहदायिकी

संक्षिप्त टिप्पणी

हिन्दू सहदायिकी

संयुक्त हिंदू परिवार की लोगों का एक समूह है, जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं। इस समूह में सबसे बड़ा सदस्य और एक परिवार की तीन पीढ़ियां शामिल होंगी और इन सभी सदस्यों को सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है

सभी सहदायिक जन्म से सहदायिक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करते हैं, जबकि संपत्ति में उनका हिस्सा परिवार में नए परिवर्धन के साथ बदलता रहता है। मिताक्षरा शाखा के अन्तर्गत, संयुक्त परिवार की संपत्ति सहदायिकी के भीतर उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होती है। इसका अर्थ है कि परिवार में प्रत्येक जन्म के साथ सहदायिक का अनुपातिक हिस्सा घटता जाता है और परिवार में प्रत्येक मृत्यु के साथ बढ़ता जाता है। इस प्रकार, संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति में एक सहदायिक का हित परिवार में जन्म और मृत्यु के कारण बदलता रहता है। वर्तमान विधि के अनुसार, पांचवें वंशज (महान-पौत्र) के सहदायिकी अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब सामान्य पूर्वज की मृत्यु हो जाती है। इस तरह, एक सहदायिकी में वंश की एक पंक्ति के शीर्ज़ पर एक व्यक्ति होता है, जिसे प्रोपोसिटस के रूप में भी जाना जाता है और उसके तीन वंशज – पुत्र / पुत्र, पोता / पुत्र और परपोता / एस। अर्थात्, एक सहदायिकी में चार डिग्री तक का वंशानुक्रम होता है। मान लीजिए कि राम एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है, उसके पुत्र मोहन, मोहन के पुत्र रोहन और रोहन के पुत्र सोहन सहदायिक हैं। उसके जन्म पर, सोहन के बेटे कायलान को राम की मृत्यु तक संपत्ति में सहदायिक अधिकार नहीं होगा।

क्या महिलाएं सहदायिक बन सकती हैं?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संशोधन के साथ (कानून में संशोधन 9 सितंबर, 2005 को लागू हुआ) पैतृक संपत्ति के संबंध में बेटियों के अधिकारों को बेटों के समान ही बना दिया गया, साथ ही उन्हें सहदायिक शब्द के तहत शामिल किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6, जो सहदायिक संपत्ति में हित के हस्तांतरण से संबंधित है, इस धारा के अनुसार "हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से, एक संयुक्त हिंदू परिवार में मिताक्षरा कानून, एक सहदायिक की पुत्री जन्म से, पुत्र की तरह ही अपने आप में एक सहदायिक बन जाएगी; सहदायिकी संपत्ति में वही अधिकार होंगे जो पुत्र के पास होते है।

सहदायिकी का गठन-

सहदायिकी का गठन विधि के द्वारा होता है पक्षकारों के विचारों या कृत्यों द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जन्म से या दत्तक ग्रहण द्वारा ही कोई व्यक्ति सहदायिकी का सदस्य हो सकता है न कि सहमति या करार द्वारा।

यदि कोई व्यक्ति अपने पिता, पितामह या प्रपितामह से दाय में सम्पत्ति पाता हैं तो उस व्यक्ति के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र एवं हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के पश्चात् सहदायिक

की पुत्री जन्म से ही उस सम्पत्ति के हिस्सेदार और सहस्वामी बन जाते हैं। उन्हें विभाजन करवाने का अधिकार होता है। कोई भी सहदायिकी बिना किसी उभयिनष्ठ पूर्वज के प्रारम्भ नहीं हो सकती है।

संक्षिप्त टिप्पणी

सहदायिकी की विशेषतायें :- सहदायिकी की निम्नलिखित विशेषतायें हैं-

1. **पुरुष वंशज** एवं सहदायिक की पुत्री ही समांशी हो सकते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के पश्चत् पुरुष वंशज एवं सहदायिक की पुत्री ही सहदायिकी में समांशी हो सकते हैं। पत्नी या माता समांशी नहीं हो सकती हैं। हालांकि ये लोग सम्पत्ति में अपना हित रखते हैं।
2. **सम्पूर्ण सम्पत्ति में स्वामित्व**- सहदायिकी सम्पत्ति में प्रत्येक समांशी का स्वामित्व सारी सहदायिक सम्पत्ति पर होता है। इसे **'सामुदायिक स्वत्ववाद'** के नाम से पुकारा जाता है।
3. **घटता बढ़ता स्वत्व**- सहदायिकी सम्पत्ति में समांशी का अंश निश्चित तथा स्थिर नहीं रहता है। वह विभाजन के पूर्व घटता-बढ़ता रहता है। किसी समांशी की मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार सहदायिकी सम्पत्ति का विभाजन हो जाता है, एवं नये सहदायिक के पैदा होने पर सहदायिकों का अंश कम हो जाता है।
4. **जन्म से अधिकार**- मिताक्षरा सहदायिकी में समांशी जन्म से अधिकार प्राप्त करते हैं, ज्यों ही संयुक्त परिवार में कोई पुत्र पैदा होता है वह समांशी हो जाता है।
5. **उत्तराधिकार से न्यागमन**- पूर्व हिन्दू विधि के अनुसार, किसी समांशी की मृत्यु होने पर मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में उसका स्वत्व उत्तरजीविता के नियम से न्यायगत होता था न कि उत्तराधिकार के नियम से। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार, उत्तरजीविता के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया है और सहदायिकी सम्पत्ति में मृतक का हित उसके उत्तराधिकारियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार के द्वारा न्यागत हो जाता है ।

सहदायिकी सम्पत्ति

सहदायिकी वह सम्पत्ति है जिसमें सभी सहदायिकों का संयुक्त अधिकार और संयुक्त स्वामित्व होता है। सहदायिकी सम्पत्ति में निम्नलिखित सम्पत्ति शामिल हैं-

1. **पैतृक सम्पत्ति** - वह है जो कोई हिन्दू पुरुष अपने पिता, पिता के पिता, पिता के पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त करता है। अर्थात् अपने तीन उपर्युक्त पैतृक पूर्वजों में दाय में प्राप्त सम्पत्ति ही पैतृक सम्पत्ति कहलाती है; तथा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का ऐसी सम्पत्ति में जन्म से हित होता है।

   हिन्दू उत्तराधिकार-(संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा के अनुसार मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी सहदायिक की पुत्री उसी प्रकार से अपने अधिकारों के प्रयोग में जन्म से सहदायिक होती है जैसे कि सहदायिक का पुत्र। अत: अब मिताक्षरा सहदायिक की पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हित प्राप्त हो गया है।

❐ मोहम्मद हुसेन खाँ बनाम किश्वनन्दन सहाय, (ए०आई०आर०1937 पी०सी०)

इस वाद न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पैतृक सम्पत्ति का अर्थ वह समस्त सम्पत्ति नहीं है जो कोई व्यक्ति अपने किसी पूर्वज से प्राप्त करता है। केवल वह सम्पत्ति जो अपने पिता, पितामह एवं **परपितामह** से किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, पैतृक सम्पत्ति कहलायेगी।

संक्षिप्त टिप्पणी

नाना से प्राप्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है। जहाँ तक पिता, पितामह तथा **परपितामह** से दान अथवा इच्छा- पत्र द्वारा प्राप्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, न्यायालय ने यह कहा है कि यह दानपत्र तथा इच्छा- पत्र की शर्तों में उल्लिखित बातों से स्पष्ट होगा कि दानकर्त्ता अथवा वसीयत करने वाले का उद्देश्य उसके विषय में क्या यही था कि वह पैतृक सम्पत्ति जैसा व्यवहत किया जाय। यदि पितामह की यह इच्छा रही हो कि पिता उस सम्पत्ति को पूर्णतया पृथक् रूप में रखे तो पिता के समीप में वह उसकी पृथक् सम्पत्ति समझी जायेगी। यदि पिता का यह उद्देश्य रहा हो कि पिता उस सम्पत्ति को परिवार के प्रलाभ के लिये ग्रहण करे तो वह सम्पत्ति अपने पुत्रों के लिये पैतृक सम्पत्ति समझी जायेगी क्योंकि पुत्र उसके साथ उसमें समान अधिकारी होंगे।

❐ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम पी० चेट्टियार, (ए०आई०आर०1969 एस०सी०)

इस वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ दानपत्र में दाता द्वारा यह नहीं इंगित किया गया कि आदाता (Donee) सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करेगा, वह सम्पत्ति आदाता की निर्बाध सम्पत्ति होगी जिसमें पुत्रों को जन्मना कोई अधिकार नहीं उत्पन्न होगा।

2. **बँटवारे में मिला अंश** -सहदायिकी सम्पत्ति या पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे में जो अंश किसी पुरुष को प्राप्त होता है वह उसकी सहदायिकी सम्पत्ति होती है और इसमें उसके पुत्रादि का जन्मत: अधिकार होता है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के पश्चात् सहदायिक की पुत्री को भी ऐसी सम्पत्ति में जन्म से हित प्राप्त हो गया है।
3. **दाय या वसीयत में पितरों से प्राप्त सम्पत्ति**-पिता के द्वारा पुत्र को जो कोई सम्पत्ति दान या वसीयत में प्राप्त होती है। वह सहदायिकी सम्पत्ति नहीं होती, जब तक कि दाता या वसीयतकर्ता ने कोई स्पष्ट इरादा प्रकट न किया हो।
4. **संयुक्त रूप से उपार्जित सम्पत्ति**-समांशिता (संयुक्त कुटुम्ब) के दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा समांशिता सम्पत्ति की मदद से जो सम्पत्ति प्राप्त की जाती है निस्संदेह वह समांशिता सम्पत्ति होती है। यदि कोई सदस्य अकेले किसी संपत्ति समांशिता संपत्ति की मदद से प्राप्त करता है तो वह भी समांशिता संपत्ति होती है। किन्तु जहाँ कोई एक सदस्य बिना समांशिता संपत्ति का सहारा या सहायता लिए अपने शौर्य या चतुराई से कोई संपत्ति कमाता है तो वह उसकी पृथक् संपत्ति मानी जायेगी और उसके पुत्र आदि को उसमें कोई हित प्राप्त नही होगा।
5. **पृथक् सम्पत्ति जो संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में डाल दी गई**-याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका करते हुए मिताक्षरा-टीकाकार विज्ञानेश्वर कहते हैं कि- 'अविभक्त भाइयों में से किसी एक भाई द्वारा कृषि, वाणिज्य या अन्य तत्सम साधनों द्वारा यदि संयुक्त संपत्ति में समृद्धि की जाय या उसे बढ़ाया जाय तो बंटवारे में उसे समान अंश ही प्राप्त होगा, उसे दो गुना अंश नहीं दिया जायगा।

   कोई भी हिन्दू जो सहदायिकी का सदस्य है यदि अपनी पृथक् सम्पत्ति सहदायिकी में डाल दे, मिला दे तो सहदायिकी सम्पत्ति के समस्त गुण उसमें आ जायेंगे।
6. **बढ़ोत्री**-सहदायिकी सम्पत्ति की आय और बचत सहदायिकी सम्पत्ति होगी, तथा सहदायिकी सम्पत्ति की सहायता आय और बचत से जो सम्पत्ति खरीदी जायगी वह भी सहदायिकी सम्पत्ति होगी।

❐ जयराम चन्द्र बनाम तुलसी अम्मल (ए०आई०आर०1978 मद्रास-95)

इस वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि सहदायिकी की पृथक् सम्पति

की आय उस आय से उपार्जित सम्पति पृथक सम्पत्ति मानी जायेगी।

संक्षिप्त टिप्पणी

सहदायिको के अधिकार

1. **संयुक्त कब्जा व संयुक्त उपभोग का अधिकार**–सहदायिकी सम्पति में कोई भी हिन्दू पूर्ण कब्जा या विशेष लाभ का अधिकारी नहीं है। किसी भी दायभागी का हिस्सा निर्धारित नहीं होता है। समस्त लाभ इकट्ठा जमा होता है और वह संयुक्त परिवार के आय–व्यय में दिखाया जाता है।

   किन्तु कर्त्ता कोई निश्चित सम्पत्ति किसी को दे सकता है और इस प्रकार वह व्यक्ति अपना पोषण उस सम्पत्ति से कर सकता है और उसके अलावा जो भी बनेगा वह उसकी पृथक् सम्पत्ति होगी।

2. **सामुदायिक स्वत्व और बचत के अधिकार**–किसी भी सहदायी का सहदायिकी सम्पति या उसकी आय में निश्चित भाग नहीं होता है। सम्पूर्ण आय एकत्रित की जाती है और अविभाजित परिवार के सदस्यों द्वारा उपभोग की जाती है।

❐ गिरजानन्दिनी बनाम ब्रजेन्द्र, ए०आई०आर० 1970 सु०को०.1124

इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्ता, जिस आय को स्वयं सुरक्षित रखता है, उसमें से किसी सदस्य को कोई विशेष सम्पत्ति दे सकता है। इस आय और सम्पत्ति से खरीदी गयी सम्पत्ति किसी सदस्य की पृथक सम्पत्ति हो जाती है,

3. **संयुक्त कब्जा का अधिकार** –प्रत्येक सहदायिक संयुक्त कब्जे व उपभोग का अधिकारी होता है। बिना किसी प्रकार के विभाजन का दावा किये वह उपभोग कर सकता है।
4. **विभाजन करने का अधिकार**– सहदायिक को अपने हिस्से को पृथक् कराने का अधिकार है।
5. **अनधिकृत कार्य को रोकने का अधिकार** – सहदायिक किसी ऐसे कार्य को किये जाने से रोक सकता है, जो उसके उपभोग में किसी प्रकार की रुकावट डाले या जिससे सहदायिकी सम्पत्ति में कुछ गड़बड़ी हो।
6. **हिसाब लेने का अधिकार**– कोई भी सहदायिक संयुक्त परिवार के कर्ता से अपना हिसाब माँग सकता है और संयुक्त परिवार की निधि भी जान सकता है
7. **अन्तरण का अधिकार**–कोई भी सहदायिक अन्य सहदायिकों की सहमति से अपना अविभाजित हिस्से का उपहार, बन्धक या विक्रय द्वारा अन्तण कर सकता है। बम्बई और मद्रास में तो बिना अन्य सहदायिक की सहमति के भी कोई सहदायिक अन्तरण कर सकता है। कोई भी सहदायिक अब इच्छा पत्र (Will) द्वारा अपने अविभाजित भाग को निस्तारित कर सकता है। (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30)]। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार कोई महिला सहदायिक भी सहदायिकी सम्पत्ति में अपने हित का वसीयत के द्वारा व्ययन कर सकती है।

❐ श्रीमती शुभमति देवी बनाम अवधेश कुमार सिंह, (ए०आई०आर०2012 पटना 45)

इस वाद में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी समांशिन द्वारा समांशिन सम्पत्ति में के अपने अविभाजित हिस्से का दान नहीं किया जा सकता।

❐ शम्भू बनाम रामदेव, (ए०आई०आर०1982 इलाहाबाद-508)

इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि सहदायिक द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति तभी अन्तरित की जा सकती है जबकि वह परिवार के लाभ के लिए, अथवा पूर्वकालिक ऋण

की अदायगी के लिए अथवा विधिक आवश्यकता के लिए हो, यदि ऐसा नहीं है और. . इसके खिलाफ अन्तरण किया जाता है तो वह पूर्णरूपेण शून्य होगा।

8. **भरण-पोषण का अधिकार** - सहदायिकी सम्पत्ति से एक सहदायिक, उसकी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त होता है।

9. **उत्तरजीवित्व का अधिकार**-मूल मिताक्षरा विधि के अनुसार किसी सहदायिक की मृत्यु के बाद अन्य दायभागियों को उत्तरजीवित्व के नियम के अनुसार दाय प्राप्त करने का अधिकार होता था किन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अनुसार, 'जहाँ हिन्दू की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के बाद होती है वहाँ मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में उसका हित इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार के द्वारा यथास्थिति, न कि उत्तरजीविता के द्वारा निगमित होगा और सहदायिकी सम्पत्ति विभाजित की गयी मानी जायेगी, मानों विभाजन हुआ था और
(क) पुत्री को वही अंश आवंटित किया जाता है, जो पुत्र को आवंटित किया जाता है,
(ख) पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री का अंश, जिसे वे प्राप्त करते, यदि वे विभाजन के समय जीवित रहते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र के या ऐसे पूर्व मृत पुत्री के उत्तरजीवी सन्तान को आवंटित किया जायेगा
(ग) पूर्व मृत पुत्र के या पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत सन्तान का अंश, जिसे ऐसी सन्तान प्राप्त करता, यदि वह विभाजन के समय जीवित रहता या रहती, पूर्व मृतं पुत्र या पूर्व मृत पुत्री के यथास्थिति के पूर्व मृत सन्तान की सन्तान को आवंटित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित सम्पत्ति में वह अंश समझा जायेगा जो उसे विभाजन में मिलता, यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूर्व सम्पत्ति का विभाजन किया गया होता इस बात पर विचार किये बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

10. **कर्त्ता सहदायिक के रूप में**-जो सहदायिक कर्त्ता होता है, उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं । यह विशेष अधिकार अन्य दायभागियों को नहीं होते हैं।

11. **पिता सहदायिक के रूप में**-पिता सहदायिक को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अन्य सहदायिकों को नहीं होते हैं।